फर्द अहकाम
(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण
जसु कंवर पत्नी बुधसिंह वगै

बनाम

अप्रार्थीगण
मीरा कंवर पत्नी अर्जुनसिंह वगै

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 36 /2018

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
17.05..2018	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी ने पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा बावत निवेदन किया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन से मामला प्रथम दृष्टयां प्रार्थी के पक्ष मे सुविधा का सुतंलन तथा अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत होने पर अप्रार्थीगण 1 से 2 व अप्रार्थी संख्या 8 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर मौजा गुगरियाली के खेत ख.न. 946/2 रकबा 12 में से प्रतिवादी संख्या 3 को बेचान किये गये 1/3 भाग को छोड़कर शेष 2/3 भाग व ख नं 947/84 रकबा 08.02 बीघा, ख नं 77 रकबा 02.16 बीघा में 1/5 हिस्सा भूमि के रेकर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखे व बेचान,हस्तानान्तरण या रहन आदि न करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे पक्षकरों को सम्मन जरिये रजिस्टर ऐडी भिजवाये। पत्रावली दिनांक 01.08.18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर	
22.5.18	पत्रावली न्यायालय आप के हाट शिविर में वकील प्रार्थी के निवेदन पर अटल सेवा केन्द्र परबोड़ में पेश हुई। वकील प्रार्थी ने नोट शीट पर निवेदन किया दीवाड़ का निस्तारण हो गया है इसलिये प्रार्थनापत्र को जांच विड्रोल स्वीकृत किया जावे। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थनापत्र जांच विड्रोल स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी जायल, नागौर	Not present.

Scanned by CamScanner